



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plex/Cir/378

दिनांक: 07.08.2026

से,

सभी Plexconcil सदस्य/COA

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: FTP के तहत इन्वेंट्री-बेस्ड क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क की शुरुआत

हम आपको बताना चाहते हैं कि DGFT ने **05 अगस्त 2026 को नोटिफिकेशन नंबर 27/2026-27** जारी किया है, जिसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी (FTP) 2023 के तहत **इन्वेंट्री-बेस्ड क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क को पेश किया गया है।**

इस फ्रेमवर्क का मकसद एक इन्वेंट्री मॉडल के ज़रिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को मुमकिन बनाना है, जिसके तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड एक्सपोर्ट के लिए इन्वेंट्री रखता है, एक्सपोर्ट से जुड़े प्रोसेस करता है, सामान एक्सपोर्ट करता है, और सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने में मदद करता है और उन्हें काबिल बनाता है।

इन्वेंट्री-बेस्ड क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स फैसिलिटेशन फ्रेमवर्क के मकसद के लिए, जब तक कि कॉन्टेक्ट में कुछ और ज़रूरी न हो, नीचे दिए गए एक्सप्लेन का वही मतलब होगा जो उन्हें दिया गया है:

1. **'एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड (EOR)'** का मतलब है एक ऐसी एंटीटी जिसके पास वैलिड IEC और GSTIN है, जो DGFT के साथ इन्वेंट्री-बेस्ड क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स फैसिलिटेशन फ्रेमवर्क के तहत रजिस्टर्ड है, और जो एक या ज़्यादा सेलर्स-ऑन-रिकॉर्ड से खरीदे गए सामान को भारत के बाहर रहने वाले खरीदारों को एक्सपोर्ट और बेचती है।
2. **'सेलर-ऑन-रिकॉर्ड (SOR)'** का मतलब है भारत में लागू गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स कानून के तहत रजिस्टर्ड एक एंटीटी, जो एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के कन्फर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर के आधार पर एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को भारत में बना सामान सप्लाई करती है, ताकि भारत के बाहर रहने वाले खरीदारों को एक्सपोर्ट किया जा सके।
3. **'एक्सपोर्ट इन्वेंट्री'** का मतलब है एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड द्वारा सेलर ऑन-रिकॉर्ड से कन्फर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर के आधार पर खरीदा गया सामान और खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए रखा गया सामान, जिसे एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड के रिकॉर्ड में एक्सपोर्ट डेजिग्रेटेड स्टॉक के तौर पर डेजिग्रेटेड, रिकॉर्डेड और ट्रेसेबल किया जाता है।
4. **'डोमेस्टिक इन्वेंट्री'** का मतलब है सेलर-ऑन-रिकॉर्ड के पास डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (DTA) में सप्लाई के लिए रखा गया सामान।
5. **'एक्सपोर्ट रिबेट्स और रिफंड्स (ERR)'** का मतलब है कैश या कैश के बराबर एक्सपोर्ट इंसेंटिव, रिबेट्स, रिफंड या रिमिशन जो एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को सामान के एक्सपोर्ट पर मिलता है, जिसमें ड्यूटी ड्राबैक, RoDTEP, RoSCTL या कोई दूसरी नोटिफाइड स्कीम शामिल है जिसमें डायरेक्ट मॉनेटरी या ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल बेनिफिट शामिल है। एक्सपोर्ट रिबेट्स और रिफंड्स में एडवांस ऑथराइजेशन या EPCG ऑथराइजेशन जैसे नॉन-ट्रांसफरेबल ड्यूटी रिमिशन इंस्ट्रुमेंट्स शामिल नहीं होंगे। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स एक्ट के तहत एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड को टैक्स का रिफंड, एक्सपोर्टर-ऑन-रिकॉर्ड का हक होगा और यह सेलर-एट्रिब्यूटेबल एक्सपोर्ट रिबेट्स और रिफंड्स का हिस्सा नहीं है।

मेंबर्स को सलाह दी जाती है कि वे डिटेल्ड इन्वेंट्री-बेस्ड क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें, जो फ्रेमवर्क के तहत एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑपरेशनल ऑब्लिगेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिकायरमेंट, कम्प्लायंस प्रोविजन और दूसरी ऑपरेशनल रिकायरमेंट तय करता है।

यहां से डाउनलोड करें: https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202608061216_42.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परावे

उप निदेशक (व्यापार और नीति)

प्लेक्सकौन्सिल